राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक: NRHM/RCH-II/JSY/08/ 182 दिनांकः 29.02.08

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला..................................

विषयः–जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत सामान्य प्रसव हेतु प्राइवेट/निजी चिकित्सालयों/संस्थाओं को मान्यता प्रदान किये जाने के कम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य स्तर पर जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत सामान्य प्रसव हेतु प्राइवेट/निजी चिकित्सालयों/संस्थाओं को मान्यता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है। जिसके अन्तर्गत जिला स्तर पर कार्यरत चिकित्सालेयो/संस्थाओं को मान्यता नहीं दी जायेगी। जिला स्तर से नीचे तहसील/खण्ड स्तर एवं दूरगामी क्षेत्र में कार्यरत चिकित्सालयों/संस्थाओं को ही मान्यता प्रदान की जायेगी। प्राइवेट/ निजी चिकित्सालयो/ संस्थाओ को मान्यता प्रदान किये जाने हेतु संम्बन्धित जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को अधिकृत किया जाता है। प्राइवेट/निजी चिकित्सालयों/संस्थाओं को मान्यता प्रदान किये जाने हेतु दिशा निर्देश निम्न प्रकार है:–

1. संस्था पर महिला चिकित्सक 24x7 उपलब्धता अनिवार्य।
2. प्रसव कराने हेतु प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ की 24X7 उपलब्धता अनिवार्य।
3. प्रसूताओं की जॉच हेतु आउटडोर, प्रसव हेतु लेबर रूम व भर्ती प्रसूताओं के लिए वार्ड की व्यवस्था के साथ–साथ प्रसूता के साथ आये परिवारजनों के लिए बैठने एवं विश्राम की व्यवस्था।
4. आउटड़ोर में परीक्षण टेबल, लेबर रूम में कम से कम दो लेबर टेबल तथा वार्ड में भर्ती मरीजों हेतु कम से कम 10 बैड की उपलब्धता, लेबर रूम एवं वार्ड में साफ–सुथरे शोचालयों की व्यवस्था।
5. प्रसव कराने हेतु आवश्यक उपकरण/औजार एवं दवाईयों की उपलब्धता।
6. पानी, बिजली एवं स्वच्छता की पूरी सुविधा उपलब्ध होनी चाहिऐ। आपातकालीन स्थिती में जनरेटर की उपलब्धता।
7. आपातकालीन स्थिती में प्रसूता के परिवहन हेतु वाहन की उपलब्धता।

8. निजी चिकित्सालयों/संस्थाऐ प्रसव हेतु आई प्रसूताओं से अधिकतम 500 रूपये की राशि प्राप्त कर सकेंगे।

9. निजी चिकित्सालयों/संस्थाओ पर प्रसव हेतु आई प्रसूताओं को प्रसवोपरान्त जननी सुरक्षा योजना का लाभ ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को 1700/-(1400 /- रूपये प्रोत्साहन राशि एवं 300 रूपये परिवहन सुविधा) के रूप में दिये जायेंगे। तथा शहरी क्षेत्र की महिलाओं को 1000/- रूपये की राशि प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जायेगी।

10. निजी चिकित्सालयों/संस्थाओ पर प्रसव कराने पर आशा सहयोगिनीयों को किसी प्रकार की प्रोत्साहन राशि देय नहीं होगी।

11. प्रसवोपरान्त प्रसूता को चिकित्सालय में 48 घंटे ठहरने के बाद ही भुगतान किया जायेगा।

12. प्रसूताओं को भुगतान की व्यवस्था समीप के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के माध्यम से की जायेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी की होगी।

13. प्रइवेट/निजी चिकित्सालयों/संस्थाओं को एक वर्ष के लिए मान्यता प्रदान की जायेगी, कार्य संतोषजनक पाये जाने पर ही प्रतिवर्ष नवीनीकरण किया जायेगा।

14. मान्यता प्राप्त प्राइवेट/निजी चिकित्सालयों/संस्थाओं का एम.ओ.यू. सम्बन्धित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं संस्था प्रभारी के हस्ताक्षर द्वारा एक वर्ष के लिए किया जायेगा

निदेशक (आरसीएच)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर